

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री अब्दुल हफीज, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी के विरुद्ध उक्त प्रमण्डल अन्तर्गत दुल्मी कूप (कुँआ) की गहराई 7½ फीट कम किया जाना एवं तदनुसार रू० 5433/- (पाँच हजार चार सौ तैंतीस रू०) मात्र का अत्याधिक अनियमित भुगतान के आरोप में विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 4655 दिनांक- 31.08.2015 सह पठित संकल्प ज्ञापांक- 78 दिनांक- 08.01.2016 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43बी० के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।


2. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किये जाने के कारण समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक- 4028 दिनांक- 09.08.2016 द्वारा प्रमाणित आरोप के लिए अत्याधिक भुगतान की गयी राशि रू० 5433/- (पाँच हजार चार सौ तैंतीस रू०) मात्र की पेंशन से एकमुश्त कटौती का दण्ड प्रस्तावित करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री अब्दुल हफीज, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की पुनः समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री हफीज के द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उन्हें निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है :-

(i) श्री अब्दुल हफीज, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता के पेंशन से 5433/- (पाँच हजार चार सौ तैंतीस रू०) मात्र एकमुश्त कटौती।


4. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।


(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 4818 राँची/दिनांक 03-10-16

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (वैयक्तिक दावा निवारण कोषांग), झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव(प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी/श्री अब्दुल हफीज, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, ग्राम-इटकी, एकतानगर, पो०-इटकी, जिला-राँची-835301/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव